न्यायालय अपील अधिकारी (जिला कलेक्टर) सीकर
पीठासीन अधिकारी, मुकुल शर्मा आई.ए.एस.

पत्रावली संख्याः 16/2025/प्रथम अपील

एडवोकेट सुभाष चौधरी, लॉयर्स चैम्बर संख्या 20, जिला एवं सेशन न्यायालय परिसर, सीकर (राज.)

–अपीलान्ट

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलेक्टर) सीकर

–रेस्पोडेन्ट

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–19(1) के अन्तर्गत प्रथम अपील

निर्णय

दिनांकः– 29 अगस्त, 2025

1. यह अपील अपीलार्थी **एडवोकेट सुभाष चौधरी** के द्वारा लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलेक्टर) सीकर से सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(1) के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र के अनुसार चाही गयी सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध नहीं करवाने पर पेश की गई है।

2. अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया जाकर अपील के संबंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट चाही गई।

3. आवेदक द्वारा अपने आवेदन दिनांक **11.06.2025** में लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलेक्टर) सीकर से **"कार्मिक UDC सुनिल जाखड़, कलेक्ट्रेट सीकर के आवास R/35 पूर्व जो खाली किया व वर्तमान आवास R/47 के आवंटन के आवेदन, नया आवास आवंटन का कारण, आवंटन आदेश व आवंटनकर्त्ता का नाम–पद व आवंटन नियमावली की प्रमाणित प्रतिलिपि"** चाही है।

4. सुनवाई के लिए नियत तिथि को अपीलार्थी स्वयं उपस्थित। रेस्पोडेन्ट द्वारा अपने पत्र दिनांक **21.08.2025** से अवगत करवाया गया है कि आवेदक द्वारा

न्यायालय जिला कलक्टर सीकर (राज.)

(मुकुल शर्मा)
जिला कलेक्टर, सीकर

सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रस्तुत आवेदन दिनांक 13.06.2025 को पंजीबद्ध हुआ है। आवेदन में चाही गई सूचना कार्यालय के पत्रांक सामान्य/आरटीआई/2025/518 दिनांक 08.07.2025 के द्वारा आवेदक को उपलब्ध करवायी जा चुकी है। अतः अपीलोत्तर रिकॉर्ड पर लिया जाकर अपील खारिज करने का श्रम फरमावें।

5. हमने पत्रावली का बगौर अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा अपने अपील आवेदन के अनुसार सूचना चाही गयी थी। आवेदक द्वारा चाही गई वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर) सीकर के द्वारा जरिये पत्रांक सामान्य/आरटीआई/2025/518 दिनांक 08.07.2025 के द्वारा प्रार्थी/अपीलार्थी को भिजवा दी गई है, जिसकी फोटोप्रति भी लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर) सीकर के द्वारा प्रस्तुत की गई है। जिसके आधार पर लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर) सीकर का प्रत्युत्तर समुचित प्रतीत होता है।

6. उक्त वर्णित स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए अपील अपीलांट **खारिज** की जाती है। निर्णय की प्रति उभय पक्षकारों को प्रेषित हो।

7. उक्त आदेश के विरूद्ध, द्वितीय अपील माननीय राजस्थान सूचना आयोग झालाना लिंक रोड, ओ.टी.एस. चौराहा, जे.एल.एन.मार्ग, जयपुर में 90 दिवस में की जा सकती है, जिसके लिए अपीलांट स्वतंत्र है।

(मुकुल शर्मा)
प्रथम अपील अधिकारी
जिला कलक्टर, सीकर